



क्रम संख्या :.....

मूल्य

रूपया :

## लखनऊ नगर निगम (सम्पत्ति आवंटन प्रथम)

१. प्रार्थी का नाम :.....
२. पिता का नाम :.....
३. (क) व्यवसायिक आय :.....  
(ख) प्रतिमाह आय :.....
४. व्यवसायिक पता :.....
५. स्थायी निवास का पता :.....
६. स्थानीय पता :.....  
(प्रार्थना पत्र देते समय का पता जहां पर प्रार्थी से पत्र व्यवहार किया जा सके) .....  
.....  
.....
७. निम्नांकित में से आरक्षण के किस प्रस्तर के अन्तर्गत आते हैं उसके सम्मुख अंकित करना होगा, तथा प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।  
(क) नगर निगम/विकास प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी तथा केन्द्रीयति सेवा के अधिकारी...  
.....  
.....  
.....
- (ख) विकलांगों और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति.....  
.....

(ग) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी.....

.....

(घ) भूतपूर्व सैनिक.....

.....

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग .....

.....

.....

८. प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र पर अपना फोटो चिपकाना होगा.....

.....

६. किस क्षेत्र अथवा स्थान पर मकान/दुकान की आवश्यकता है :-  
(प्राथमिकता के आधार पर कालोनी का नाम)

१०. यदि प्रार्थी या उसके परिवार वालों के पास लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में कोई अपना निजी अथवा नगर निगम/विकास प्राधिकरण/रेन्ट कन्ट्रोल का मकान नहीं है तो इस आशय का एक शपथ पत्र साथ में प्रस्तुत करना होगा। (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है)

११. क्या प्रार्थी को पहले कभी नगर निगम/विकास प्राधिकरण का आवास/दुकान किराये पर आवंटित हो चुकी है यदि हां तो उसका विवरण.....

.....

(क) मकान/दुकान/का नं०.....

.....

स्थिति.....

.....

किराया.....

.....प्रतिमास/वर्ष

(ख) आवंटन आदेश की संख्या व तिथि.....

.....

(ग) अवधि जब तक मकान/दुकान आवंटित रहा.....

.....

(घ) बयाने की रकम यदि कोई जमा की गई हो रु०.....रसीद सं०.....  
.दिनांक.....

१२. मैं नगर निगम/विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन सम्बन्धी सभी शर्तों के पालन करने एवं किराया वसूलयाबी के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रसारित आदेशों के पालन करने की सहमति देता/देती हूँ।

तिथि :.....  
.....

प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर

.....

(पूरा

नाम बड़े अक्षरों में)

नोट :- जिस व्यक्ति के नाम या उसके परिवार के सदस्य के नाम नगर निगम क्षेत्र में कोई भवन है या नगर निगम/विकास प्राधिकरण/रेन्ट कन्ट्रोल का आवास है तो ऐसा व्यक्ति आवंटन का पात्र नहीं है। ऐसे व्यक्ति भवन आवंटन के लिये प्रार्थना-पत्र देने का कष्ट न करें।

परिवार का तात्पर्य निम्नलिखित होगा, अर्थात् किसी व्यक्ति की या के;

(क) पत्नी या पति,

(ख) पूर्व जातीय वंशज,

(ग) ऐसे माता-पिता या पितामह, पितामही या अविवाहित अथवा विधवा अथवा विवाह विच्छिन्न तथा न्यायिक रूप से पृथक पुत्री अथवा पुंजातीय वंशज की उपरोक्त वर्ग की पुत्री जो सामान्यतयः उनके साथ रहते हों।

### घोषणा-पत्र का प्रारूप

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....  
.....निवासी .....घोषणा करता/करती हूँ कि :-

१. मेरे अथवा मेरे परिवार वालों के पास नगर निगम क्षेत्र में कोई निजी भवन नहीं है और नगर निगम/विकास प्राधिकरण/रेन्ट कन्ट्रोल का कोई मकान भी आवंटित नहीं है।
२. आवास हेतु निर्धारित प्रपत्र में दी गई सूचनायें सत्य हैं।
३. मैं नगर निगम/विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन एवं किराया वसूली सम्बन्धी वर्तमान शर्तों अथवा समय-समय पर परिवर्तित परिवर्धित शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर .....

.....

शपथी  
/ शपथिनी

क्रम संख्या :.....

प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति की रसीद

श्री / श्रीमती / कुमारी.....  
.....का मकान / दुकान के आवंटन के लिये प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर

प्राप्ति लिपिक के